उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, रामगढ़

(विकास शाखा)

दिनांक 07.12.2016 को उपायुक्त, रामगढ़ की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट (DMFT) के प्रबंधकीय समिति की बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थितिः– पंजी के अनुसार

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सदस्यों का अभिवादन करते हुए उपायुक्त महोदया द्वारा बताया गया कि आज की प्रबन्धकीय समिति की बैठक का मुख्य उद्देश्य DMFT के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन, नयी योजनाओं के अनुमोदन, Innovative एवं रोजगार परक योजनाओं के चयन तथा Project Management Unit के गठन एवं अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विचार–विमर्श के लिए आयोजित किया गया है। तदोपरान्त् जिला योजना पदाधिकारी, रामगढ़ को एजेन्डावार विषय वस्तु प्रस्तुत करने का निदेश दिया।

निदेशानुसार जिला योजना पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा समिति के विचारार्थ एजेन्डावार विषय वस्तु को प्रस्तुत किया गया :–

i. **District Project Management Unit का गठन**

जिला योजना पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा बताया गया कि DMFT की मार्ग–दर्शिका में DPMU के गठन का प्रावधान है तथा राज्य स्तरीय समीक्षात्मक बैठक में सचिव महोदया द्वारा भी इसके लिए निदेशित किया गया हैं। विचारोपरान्त DMFT के तहत् सभी कार्यों के त्वरित गति से संचालन तथा नियमित अनुश्रवण के लिए सरकार से प्राप्त मार्ग–निदेश के आलोक में District Project Management Unit का गठन करने का निर्णय लिया गया। इसके अन्तर्गत Project Officer, Programmer, Accountant तथा Computer Operator के पद पर क्रमशः एक–एक कर्मी को नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। सभी पदों के लिए योग्यता तथा मानदेय राशि का निर्धारण (परिशिष्ट "क") करते हुए अविलम्ब विज्ञापन प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही, समय–सीमा के अन्दर प्राप्त आवेदक की सम्यक जाँच करके आवश्यकतानुसार लिखित परीक्षा/साक्षात्कार के आधार पर योग्य अभ्यार्थियों का चयन करते हुए निम्नवत् गठन किया गया :–

1) उप विकास आयुक्त, रामगढ़	–	अध्यक्ष
2) जिला योजना पदाधिकारी, रामगढ़	–	सदस्य सचिव
3) कार्य0अभि0, ग्रा0वि0वि0प्रम0, रामगढ़	–	सदस्य
4) स्थापना उप समाहर्ता, रामगढ़	–	सदस्य
5) जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, रामगढ़	–	सदस्य
6) ई–डिस्ट्रीक मैनेजर, रामगढ़	–	सदस्य

ii. **Discussion on Central team Suggestion**

रामगढ़ जिले के अन्तर्गत DMFT के तहत् प्रथम वर्ष 2016–17 के लिए तैयार किये गये Annual Action Plan के अवलोकन तथा उस पर विचार–विमर्श के पश्चात् दिल्ली से आयी टीम द्वारा दिये गये Feedback के आधार पर Centre for Science and Environment के Deputy Director Genenal श्री चन्द्र भूषण से प्राप्त लिखित सुझाव पर चर्चा की गयी। इसके अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, रोजगार, स्वरोजगार, प्रशिक्षण आदि विषयों में प्राप्त सुझाव के आलोक में वर्णित प्रत्येक विन्दु पर सुक्ष्मता से विचार करते हुए तत्काल DMF के तहत् रामगढ़ जिला के

लिए वृहत पंच वर्षीय तथा वार्षिक कार्य योजना तैयार करते हुए Expression of Interest निकाल कर एक Expert Team का Selection करने का निर्णय लिया गया। साथ ही, यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त Expert Team सम्पूर्ण रामगढ़ जिला विशेषकर खनन से प्रभावित क्षेत्रों का House to House Survey करके आवश्यकता आधारित Plan तैयारी करेगी।

iii. <u>नयी पद्धति से विद्यालयों में चाहारदिवारी निर्माण</u>

जिला योजना पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा बताया गया कि DMFT के तहत् कुल 88 विद्यालयों में चाहारदिवारी निर्माण की योजना को अनुमोदित किया गया है। इसके लिए कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, रामगढ़ एवं जिला अभियंता, जिला परिषद्, रामगढ़ से प्राक्कलन की मांग की गयी थी। दोनों अभियंताओं से तकनीकि स्वीकृति प्रदत्त प्राक्कलन प्राप्त हुआ है लेकिन दोनों प्राक्कलनों की दर में भिन्नता है। इससे संबंधित B.K. Technology, Gujrat से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसमें परम्परागत ईंट की जगह Concrete Plank and Post के द्वारा चाहारदिवारी निर्माण का प्रस्ताव दिया गया है। प्रस्ताव में Concrete Plank से निर्मित दीवार को ईंट से निर्मित दीवार की अपेक्षा मजबूत और सस्ता होने का भी उल्लेख है।

बैठक में उपस्थित सभी कार्यपालक अभियंता द्वारा Concrete Plank से निर्मित दीवार को ईंट की दीवार से अधिक मजबूत होने की बात की पुष्टि की गयी। चर्चा के क्रम में कार्यपालक अभियंताओं द्वारा Concrete Plank का Scheduled दर नहीं होने का उल्लेख किया गया। दीवार की मजबूती, Innovative तकनीक तथा गुणवत्ता में एकरूपता पर विचार करते हुए निविदा के माध्यम से दर निर्धारण तथा आपूर्तिकर्ता के चयन हेतु निविदा के प्रकाशन का निर्णय लिया गया। निविदा के लिए निम्नवत् त्रि–सदस्यीय समिति का गठन किया गया :–

1) **कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, हजारीबाग–सह–रामगढ़।**
2) **कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, रामगढ़।**
3) **कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, रामगढ़।**

उक्त कार्यपालक अभियंताओं को तीन दिनों के अन्दर NIT तैयार कर प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया, ताकि तद्नुसार निविदा का प्रकाशन किया जा सके।

iv. <u>योजना का चयन</u>

बैठक में उपस्थित सभी कार्यपालक अभियंता तथा सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को वैसी महत्वपूर्ण जनोपयोगी योजनाओं को चिन्हित कर सूचीबद्ध कर ग्राम सभा से पारित कराकर समर्पित करने का निदेश दिया गया, जिनका कार्यान्वयन किसी अन्य विभाग से कराने के लिए सरकार से आवंटन प्राप्त होने की संभावना नहीं है।

A. <u>पंचायत भवन की चाहारदिवारी :–</u>

प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों द्वारा प्रस्तावित रामगढ़ जिलान्तर्गत सभी पंचायत भवनों की सुरक्षा हेतु जिन पंचायतों के पंचायत भवनों में चाहरदिवारी उपलब्ध नहीं है, वहाँ चाहारदिवारी निर्माण करने का निर्णय लिया गया। तद्नुसार सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को विधिवत् पूर्ण विवरणी के साथ प्रस्ताव समर्पित करने का निदेश दिया गया।

B. <u>SHG प्रशिक्षण भवन :–</u>

रामगढ़ जिला में SHG को सुदृढ़, संगठिन एवं सशक्त करने के लिए प्रखण्ड स्तर पर प्रशिक्षण भवन के निर्माण पर विचार किया गया। प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों द्वारा वताया गया कि पूर्व में कुछ प्रखण्डों में प्रशिक्षण भवन वना है। सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को इसकी वर्तमान स्थिति एवं उपयोग से अवगत कराने का निदेश दिया गया।

C. <u>आदिवासी आवासीय उच्च विद्यालय, माण्डू का जीर्णोद्धार :–</u>

आदिवासी आवासीय उच्च विद्यालय, माण्डू का भवन वर्तमान में जर्जर स्थिति में है। अतः सर्वसम्मति से इसके जीर्णोद्धार के साथ–साथ उपलब्ध स्थल में अतिरिक्त भवन का निर्माण तथा इसके सुसज्जीकरण कराने का निर्णय लिया गया। इसके लिए कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, रामगढ़ को विद्यालय का निरीक्षण करके यथाशीघ्र DPR तैयार कर समर्तित करने का निदेश दिया गया, ताकि इसे विधिवत् ग्रामसभा से पारित कराकर DMFT के न्यास परिषद् में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जा सके। इनके द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि बिरहोर टोला में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने से संबंधित योजना ग्राम सभा से पारित हो गया है, लेकिन DMFT से अनुमोदन अपेक्षित है।

V. <u>योजना की प्रशासनिक स्वीकृति</u>

कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, रामगढ़ द्वारा बताया गया कि DMFT के तहत् अनुमोदित नदी आधारित सात योजनाओं का DPR पूर्व में समर्पित किया गया है। इसके अतिरिक्त बिरहोर टोला में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने से संबंधित विभिन्न प्रखण्डों की 10 योजनाओं का DPR भी समर्पित किया गया है।

जिला योजना पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा बताया गया कि खान आयुक्त, उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग, राँची के ज्ञापांक 2882 दिनांक 22.11.2016 द्वारा मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 19.10.2016 को सम्पन्न जिला खजिन फाउण्डेशन ट्रस्ट(DMFT) कोष में संकलित राशि एवं कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित बैठक की कार्यवाही प्रेषित की गयी है, जिसमें मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया है कि योजनाओं का चयन DMFT Rule एवं PMKKY के अनुरूप किया जाय। इसके लिए DPR संबंधित विभाग द्वारा तैयार कर तकनीकि स्वीकृति दी जाएगी। तकनीकि स्वीकृति प्राप्त होने के उपरात DMFT Trust के प्रबंधकीय समिति के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति दी जाएगी।

A. मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार के उक्त निदेश के अनुसार कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, रामगढ़ द्वारा समर्पित तकनीकि स्वीकृति प्रदत्त प्राक्कलन तथा DMFT की बैठक प्राप्त अनुमोदन के अलोक नदी आधारित निम्न वर्णित सात योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी :–

(राशि करोड में)

क्र.	प्रखण्ड	पंचायत	जलापूर्ति योजना का नाम	योजना संख्या	तकनीकि/प्रशासनिक स्वीकृति की राशि
1	माण्डू	दिगवार	दिगवार ग्रामीण जलापूर्ति योजना	01	9.2700
2	माण्डू	लइयो	लइयों ग्रामीण जलापूर्ति योजना	01	4.7500
3	माण्डू	कुज्जु	कुज्जु ग्रामीण जलापूर्ति योजना	01	22.0500
4	गोला	गोला	गोला ग्रामीण जलापूर्ति योजना जीर्णोद्धार	01	18.4516
5	चितरपुर	चितरपुर	चितरपुर ग्रामीण जलापूर्ति योजना का जीणोद्धार	01	12.6550
6	पतरातु	कटिया	कटिया ग्रामीण जलापूर्ति योजना	01	3.1380
7	पतरातु	तालाटांड	तालाटांड ग्रामीण जलापूर्ति का जीर्णोद्धार	01	4.2422
			कुल	**07**	**74.5568**

B. साथ ही, कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, रामगढ़ जिला के विभिन्न प्रखण्डों में स्थित बिरहोर टोला में पेयजलापूर्ति से संबंधित निम्नवर्णित दस योजनाओं को DMFT की आगामी बैठक में अनुमोदन प्राप्त करने की प्रत्याशा में प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी :–

क्र.	प्रखण्ड	ग्राम	योजना का नाम	तकनीकि/प्रशासनिक स्वीकृति की राशि
1	माण्डू	सुगिया	आदिम जनजाति(बिरहोर) बहुल ग्रामों में पेयजल सुविधा।	865100
2	रामगढ़	दोहाकातु	आदिम जनजाति(बिरहोर) बहुल ग्रामों में पेयजल सुविधा।	902400
3	माण्डू	गोविंदपुर	आदिम जनजाति(बिरहोर) बहुल ग्रामों में पेयजल सुविधा।	853300
4	दुलमी	भालू	आदिम जनजाति(बिरहोर) बहुल ग्रामों में पेयजल सुविधा।	858500
5	माण्डू	दुरूकस्मार	आदिम जनजाति(बिरहोर) बहुल ग्रामों में पेयजल सुविधा।	1088100
6	पतरातु	हेहल	आदिम जनजाति(बिरहोर) बहुल ग्रामों में पेयजल सुविधा।	901300
7	माण्डू	डाड़ीदोहर	आदिम जनजाति(बिरहोर) बहुल ग्रामों में पेयजल सुविधा।	839700
8	माण्डू	चैनपुर	आदिम जनजाति(बिरहोर) बहुल ग्रामों में पेयजल सुविधा।	887100
9	पतरातु	दारीडीह	आदिम जनजाति(बिरहोर) बहुल ग्रामों में पेयजल सुविधा।	930800
10	गोला	साड़म	आदिम जनजाति(बिरहोर) बहुल ग्रामों में पेयजल सुविधा।	861900
			कुल	8988200

C. इसके अतिरिक्त मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार के उक्त आदेश के आलोक में DMFT के तहत् उपायुक्त, स्तर के ज्ञापांक 889/वि0 दिनांक 14.09.2016, ज्ञापांक 918/वि0 19.09.2016, ज्ञापांक 1115/वि0 दिनांक 16.11.2016, ज्ञापांक 1116/वि0 दिनांक 16.11.2016, ज्ञापांक 1117/वि0 दिनांक 16.11.2016, ज्ञापांक 1118/वि0 दिनांक 16.11.2016 तथा ज्ञापांक 1140/वि0 दिनांक 22.11.2016 द्वारा प्रदान की गयी सभी प्रशासनिक स्वीकृति की भी सर्वसम्मति से सम्पुष्टि की गयी।

vi. <u>स्वीकृत/अनुशंसित योजनाओं की प्रागति की समीक्षा</u>

A. ज्ञापांक 889/वि0 दिनांक 14.09.2016 द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, रामगढ़ द्वारा Panchayat Growth Centre का मानक प्राक्कलन तैयार करने की दिशा में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करने पर गहरा क्षोभ व्यक्त किया गया तथा उन्हें अविलम्ब मानक DPR तैयार करने का निदेश दिया गया। इसमें किसी प्रकार की प्रक्रियात्मक व्यवधान होने की स्थिति में जिला योजना पदाधिकारी, रामगढ़ से सम्पर्क करने का निदेश दिया गया।

B. इसी प्रकार ज्ञापांक 1140/वि0 दिनांक 22.11.2016 द्वारा 43 पुल निर्माण की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के उपरान्त आज तक कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, हजारीबाग–सह–रामगढ़ द्वारा निविदा प्रकाशित नहीं करने पर क्षोभ व्यक्त किय गया तथा उन्हें तीन दिनों के अन्दर निविदा निकालकर अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया।

C. कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, रामगढ़ द्वारा वताया गया कि उनके द्वारा सौर्य ऊर्जा आधारित पेयजल की स्वीकृत योजनाओं में 175 योजनाओं की निविदा निकाली जा चुकी है और शेष योजनाओं की निविदा प्रकाशन प्रक्रिया में है। लगभग एक माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने के वावजूद अभी तक निविदा प्रक्रिया के पूर्ण नहीं होने पर असंतोष व्यक्त किया गया तथा अविलम्व सभी स्वीकृत योजनाओं का निविदा

निष्पादन करते हुए कार्य प्रारम्भ करने का निदेश दिया गया। साथ ही, DMFT के तहत् स्वीकृत 46675 शौचालयों को गुणवत्ता पूर्वक निर्माण कराते हुए पूर्ण की गयी योजनाओं की सूची तथा फोटो समर्पित करने का निदेश दिया गया।

D. DMFT के तहत् कार्यान्वित योजनाओं के नियमित निरीक्षण, अनुश्रवण एवं गुणवत्ता की जाँच हेतु प्रखण्ड के लिए वरीय पदाधिकारियों की अध्यक्षता में कार्यपालक अभियंता तथा सहायक अभियंता की समिति गठिन करने का निर्णय लिया गया।

vii. अन्यान्य

A. जिला पंचायती राज पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा लम्बी अवधि के लिए चिकित्सीय अवकाश में जाने के कारण DMFT से संबंधित चेक पर उप विकास आयुक्त, रामगढ़ के साथ संयुक्त हस्ताक्षर करने के लिए जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़ को सर्वसम्मति से मनोनित किया गया तथा तत्संबंधी सूचना संबंधित बैंक को भेजने का निदेश दिया गया।

B. DMFT के लिए बनाये जाने वाले Seal पर "प्रतीक चिन्ह" के चयन पर विचार करते हुए सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इसके लिए रामगढ़ की स्थानीय जनता से विज्ञापन के माध्यम से "प्रतीक चिन्ह" तैयार कर समर्पित करने का अनुरोध किया जाय। चयनित होने वाले "प्रतीक चिन्ह" के लिए 5,000.00 (पाँच हजार) रूपये ईनाम देने का भी निर्णय लिया गया। इसका भुगतान DMFT की आकस्मिता निधि से करने का निर्णय लिया गया।

अन्त में उपायुक्त महोदया द्वारा बैठक में लिय गये निर्णयों एवं निदेशों पर त्वरित गति से कार्रवाई करने का निदेश देते हुए धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह0/–
उपायुक्त–सह–अध्यक्ष,
न्यास परिषद्, DMFT,
रामगढ़।

ज्ञापांक 1181 /वि0 रामगढ़, दिनांक 08/12 /2016

प्रतिलिपिः– **सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।**

08/12/16

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष,
न्यास परिषद्, DMFT,
रामगढ़।